UPFD40189212026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–1044/2026

फराज खान बनाम यूसुफ आदि।

धारा–173(4)BNSS
थाना रसूलपुर फिरोजाबाद

दिनांक–26–05–26

पत्रावली पेश हुई, पुकार करायी गयी।

बार बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आदेश पत्र पर कार्यालय द्वारा यह आख्या अंकित की गयी है कि पूर्व मे आवेदक को सूचित भी किया गया है। किन्तु प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु आवेदक उपस्थित नही है न कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है पत्रावली पर पूर्व मे कई अवसर भी प्रदान किये जा चुके हैं।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)BNSS के एक माह के भीतर निस्तारण के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं। अपने मामले की जानकारी के बाबजूद भी प्रार्थी उपस्थित नही आया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया अपने मामले मे कोई रूचि नही ले रही है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र की कार्यवाही लम्बित रखे रहने का कोई उचित व पर्याप्त कारण नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी की अनुपस्थिति मे निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(विजय कुमार वर्मा–II)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फिरोजाबाद।
JOCODE UP1987